समयबद्ध / अनुस्मारक–2

सर्वोच्च प्राथमिकता / रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार वर्ष 2016–17

संख्या–983 (3) / 60–3–16–6 (4) / 14

प्रेषक,

नीलिमा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

निदेशक कैम्प
संख्या 11881G
दिनांक 5/12/16

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव / सचिव
गृह विभाग / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग / बेसिक शिक्षा विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2–निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3–समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 02 दिसम्बर, 2016

D.D

5/12/16

8/12/16

विषयः– वर्ष 2016–17 हेतु रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के लिये प्रस्तावित एवार्डीज की सूची (नामांकन) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.09.2016 तथा समसंख्यक अनुस्मारक पत्र दिनांक 19.10.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार चयन हेतु प्रस्तावित एवार्डीज की सूची / नामांकन का विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। मा0 मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं / बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016–17 में बहादुरी का कार्य करने वाली तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली 20 बालिकाओं / महिलाओं को तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1740 / 60–3–15, दिनांक 04.12.2015 द्वारा रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार की पात्रता हेतु चयन की प्रक्रिया निर्धारित करते हुये मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। उक्त गाइडलाइन्स में चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विभिन्न चरणों की समयसीमा का निर्धारण भी किया गया है। गाइडलाइन्स के अनुसार निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत महिला कल्याण विभाग / जिला संचालन समिति (जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित) / संबंधित विभागों द्वारा निर्दिष्ट कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिसके अन्तर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार जिला

संचालन समिति द्वारा निर्दिष्ट श्रेणी में प्रस्तावित एवार्डीज की संख्या के तीन गुना नामों की सूची अपेक्षित विवरण सहित संबंधित विभागों को तथा संबंधित विभागों द्वारा निर्दिष्ट श्रेणी में प्रस्तावित एवार्डीज की संख्या के दो गुना नामों की सूची अपेक्षित विवरण सहित महिला कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जानी है।

4. **उल्लेखनीय है उक्त गाइडलाईन्स के अनुसार 20 सामान्य श्रेणी के पुरस्कार के अन्तर्गत गृह विभाग से 10, चिकित्सा विभाग से 03, बेसिक शिक्षा विभाग से 01, ग्राम विकास विभाग से 01, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से 02, ऑगनबाड़ी कार्यकत्री तथा महिला कल्याण विभाग से 03 संवासिनियों के नामांकन एवं पंचायती राज विभाग से 100 महिला ग्राम प्रधानों के नामांकन प्राप्त होने हैं।**

5. रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार का वितरण कार्यक्रम निकट भविष्य में शीघ्र प्रस्तावित है। मात्र पंचायती राज विभाग से ही महिला ग्राम प्रधानों के नाम नामांकन हेतु प्राप्त हो पायें हैं। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिकता के आधार पर कृपया **रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के चयन हेतु प्रस्तावित एवार्डीज की सूची (नामांकन) तथा उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दो फोटोग्राफ सहित दिनांक 06.12.2016 तक अवश्यमेव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीया,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–983 (4)/60–3–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी/सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति, राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन, उ0प्र0।
2. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट/कोष की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलिमा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Sri Tandan/Go